न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 70/2010 (127/05 पुराने)

वादीगण

1. स्व. मनसुखसिह के उत्तरधिकारीगण
1/1 श्रीमती अस्तकंवर बेवा मनसुखसिंह
1/2 गोपलसिंह पुत्र मनसुखसिंह
1/3 नारायणसिंह पुत्र मनसुखसिंह
जातियान राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भोमाराम पुत्र रतनाराम जाति कलबी चौधरी निवासी खेड
2. केसी बेवा पनूनमा जाति कलबी चौधरी निवासी खेडा
3. दीपाराम वल्द दूदा जाति कलबी चौधरी नि.खेडा
4. पाबू बेवा दूदा जाति कलबी चौधरी नि.खेडा
5. अमरा वल्द काना जाति कलबी चौधरी नि. खेडा
6. जेठा गोद पुत्र काना जाति कलबी चौधरी नि.खेडा
7. जसी पुत्री काना जाति कलबी चौधरी नि.खेडा
8. वाली पुत्री काना जाति कलबी चौधरी नि.खेडा
सभी 3 ता 8 निवासी खेडा तहसील गुडामालानी
9. उम्मेदगिरी चेला चेनतगिरीजी महाराज जाति गोस्वामी नि. मीठा मठा
10. शान्तिदेवी पत्नी भाखराराम जाति विश्नोई नि.गुडामालानी
11. रामेश्वरीदेवी पत्नी भीखाराम जाति विश्नोई नि.गुडामालानी
12. समूदेवी पत्नी पंचाराम जाति जाति विश्नोई नि.गुडामालानी
13. मोडा पुत्र दुर्गा जाति कलबी निवासी खेडा
14. डाया पुत्र दुर्गा जाति कलबी निवासी खेडा
15. गेना पुत्र दुर्गा जाति कलबी निवासी खेडा
16. मोडा पुत्र पसाणा जाति कलबी निवासी खेडा
17. दाना पुत्र पसाणा जाति कलबी निवासी खेडा
18. प्रागा पुत्र पसाणा जाति कलबी चोधरी निवासी खेडा
सभी निवासीयान खेडा तहसील गुडामानली
19. सवा पुत्र लक्ष्मणजी जाति कलबी चौधरी निवासी खेडा
20. मृतक पेमाराम पुत्र जगरूपाराम के कायम मुकाम
जाति कलबी चौधरी नि.खेडा फौत
20/1 सांवलाराम पुत्र पेमाराम जाति कलबी चोधरी निवासी खेडा
20/2 रणछोडराम पुत्र पेमाराम जाति कलबी चोधरी निवासी खेडा
20/3 श्रीमती जमना पुत्री पेमाराम जाति कलबी चौधरी निवासी खेडा
21. सुखगिरी पुत्र भीमगिरी जाति गोस्वामी नि. मीठा
22. हरीसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत नि. मीठा
23. नरपतसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी मीठा
24. सोहनसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी मीठा
25. नगसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी मीठा
निवासीयान मीठा, तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
26. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पादरू
27. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधी भूमिधारक तहसीदार सिवाना –जिला बाडमेर

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:57 IST
Reason: SelfAttested

28. गेरो बेवा नरसिंगा जाति कलबी
तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
वाद हेतु अधिकार घोषणा,अभिलेख सुधार स्थाई निषेघाज्ञा व्यादेश
उपस्थितः—

1. श्री अचलराम थोरी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 16 ता 18

::निर्णय::

दिनांकः—31.08.2021

वादीगण ने वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व रा.का.अ. की धारा 88,188 के तहत पेश किया है। वाद पत्र. का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि पूर्व जागीर गांव पादरू तहसील सिवाना की राजसव सीमा में निम्न वर्णित कृषि भूमि अवस्थित है।

क्र.सं.	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म	खेत का नाम
1	142	00.04 बीघा	गै.मु.बेरा	सेजलावा
2	144	59.13 बीघा	चा.अ.	सेजलावा जाव
3	145	53.14 बीघा	धोरा	पाडका
4	184	22.10 बीघा	चा.अ.	सेजलावा
5	185	59.05 बीघा	धोरा	सेजलावा का पडाका

इस वाद में वर्णित तथ्यों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उक्त सभी पाचों आराजीयात का नजरी नक्शा में अंकित कृषि भूमियों बिन्दू "ए.बी.सी.डी.ई.एफ. जी.एच." वादीगण के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की हैं। वक्त सेटलमेन्ट खतौनी वर्ष 2009 में वादग्रस्त कृषि भूमियों खसरा संख्या 142,144,145,184 व 185 मे वादीनी संख्या 1 के पति एवं वादीगण संख्या 02 व 03 के पिता स्व. श्री मनसुख सिंह पुत्र भूरसिंह का खुद काश्त का 1/4 हिस्सा था। वादग्रस्त कृषि भूमि मे शेष 3/4 हिस्सा रतना गिरधारी काना वगैरा का था दिनांक 03.03.67 को शेष 3/4 हिस्से के खातेदार ने वादग्रस्त कृषि भूमि का निम्न प्रकार से सप्रतिफल बेचाननामा वादीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व. मनसुखसिंह के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत कराया एवं माफिक बेचाननामा कब्जा, क्रेता स्व. मनसुखसिंह को वास्तविक एवं भौतिक रूप से मौके पर सुपुर्द किया गया। खसरा संख्या 144 रकबा 59 बीघा 13 विस्वा में से 3/4 हिस्से के खातेदारान ने 15 बीघा 15 विस्वा भूमि जरीये रजिस्ट्री मनसुखसिंह को सप्रतिफल बेचान कर दी, इस प्रकार मनसुखसिंह के पास अपने 1/4 हिस्से ... बीघा 18 विस्वा के अलावा 15 बीघा 15 विस्वा भूमि जरीये खरीद कुल 30 बीघा 13 विस्वा भूमि उक्त खसरा में उनके कब्जा काश्त खातेदारी की रही। शेष 29 बीघा भूमि जो नजरी नक्शा में बरंग लाल से अंकित है, 3/4 हिस्से के खातेदारान की रही जो आज भी उनके कब्जा में है।खसरा संख्या ... रकबा 53 बीघा 14 विस्वा में से 3/4 हिस्से के खातेदारान ने सरहद मिठौड़ा के तरफ की 35 बीघा भूमि अपने पास रखकर 5 बीघा 6 विस्वा भूमि का पंजीकृत बेचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना

मनसुखसिंह को किया। इस प्रकार खसरा संख्या 145 में मनसुखसिंह के कब्जा काश्तअपने 1/4 हिस्सा 13 बीघा 08 विस्वा भूमि के अलावा खरीद की गई 5 बीघा 06 विस्वा भूमि 18 बीघा 14 विस्वा भूमि मनसुखसिंह के कब्जा काश्त खातेदारी की रही जो आज भी वादीगण के कब्जा काश्त की हैं। खसरा संख्या 184 रकबा 22 बीघा 10 विस्वा में स्व. मनसुखसिंह का 1/4 हिस्सा–5 बीघा 12 विस्वा था और जरीये रजिस्ट्री मनसुखसिंह ने शेष 3/4 हिस्से की 16 बीघा 18 विस्वा भूमि दिनांक 03.03.67 को सप्रतिफल खरीद की इस प्रकार सालिम खसरा संख्या 184 रकबा 22 बीघा 10 विस्वा स्व. मनसुखसिंह के कब्जा काश्त खातेदारी का हुआ एवं रहा। जिस पर आज रोज वादीगण काबिज है खसरा संख्या 185 रकबा 59 बीघा 05 विस्वा में स्व. मनसुखसिंह का 1/4 हिस्सा = 14 बीघा 16 विस्वा हिस्सा था शेष पूरा 3/4 हिस्से का रकबा 44 बीघा 09 विस्वा मनसुखसिंह ने जरीये रजिस्ट्री दिनांक 03.03.67 को सप्रतिफल खरीद किया इस प्रकार खसरा संख्या 185 की कुलिया 59 बीघा 05 विस्वा भूमि स्व. मनसुखसिंह की कब्जा काश्त खातेदारी की हुई व रही। जिस पर अब वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त है। खसरा संख्या 142 रकबा 04 विस्वा गैरमुमकिन बेरा सेजवाला में स्व. मनसुखसिंह का 1/4 हिस्सा था और शेष 3/4 हिस्सा अर्थात बेरे से सिंचाई के समय अधिकार मय पानी स्व. मनसुखसिंह ने जरीये रजिस्ट्री दिनांक 27.11.1973 को शेष हिस्सेदारान से खरीद कर लिये और शेष 3/4 हिस्से के खातेदारान बेरे से दस्तबदार हो गए, इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार वाद के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट" अ" में अंकित सालिम ए. बी. सी डी. ई. एफ, जी. एच. भूमि पर एक मात्र कब्जा खातेदारी स्व. मनसुखसिंह की कायम हो गई। जिस पर स्व.मनसुखसिंह के बाद हम वादीगण आज रोज निरन्तर क्रम में काबिज है। यहां यह निवेदन करना भी समीचीन है कि स्व. मनसुखसिंह ने या उनके एक मात्र उत्तराधिकारीगण हम वादीगण ने उक्त कृषि भूमियों अर्थात परिशिष्ट" अ" में दर्ज ए. बी. सी. डी. ई. एफ. जी. एच. के किसी भाग या अंश का कोई बेचान या हस्तान्तरण कभी भी नहीं किया और न कभी भी कोई कब्जा ही (Part & with) विलग ही किया। सप्रतिफल क्रेता विधि के अन्तर्गत स्वतःही काबिज खातेदार टीनेन्ट हो जाता है। इस प्रकार स्व. मनसुखसिंह के देहान्त के बाद हम वादीगण विधिक रूप से अन्तर्गत धारा 40 रा. का. अ. नजरी नक्शा में अंकित वादग्रस्त कृषि भूमियों ए बी. सी. डी. ई. एफ. जी. एच. के प्रवर्तन से काबिज खातेदार टीनेन्ट हो गए, एवं इसी प्रकार आज रोज भी निरन्तर निर्बाध मौके पर काबिज है। उक्त वर्णित दोनों विक्रय विलेख दिनांक 03.03.1967 व 27.11.1973 की प्रतियां स्व. मनसुखसिंह ने तत्कालीन हल्का पटवारी को राजस्व अभिलेख में आवश्यक अमल दरामद के लिये दे दी। अर्थात भूमिधारक को दोनों ही विक्रय पत्रों का पूरा पूरा ज्ञान था। दिनांक 30.11.1980 को अचानक मनसुखसिंह का देहान्त हो गया, हम स्व. मनसुखसिंह के वारिसान वादी संख्या 2 व 3 तत्समय अल्प आयु के अव्यस्क थे और वादीनी सं. 1 राजपूत घराने की पर्दानशीन विधवा होने से निर्योग्य व्यक्ति थी। उक्त विधिक निर्योग्यता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

के तथ्य का नाजायज फायदा उठाकर 3/4 हिस्से के पूर्व खातेदारान ने पौशीदा तौरसे कुछ अज्ञात बिना कब्जे एवं बिना प्रतिफल के मात्र कागजी हवाई बेचान कर दिये और कुछ दूसरी जगह के व्यक्तियों अर्थात प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमियों में तत्समय के हल्का पटवारीयों से अनैतिक मिलावट कर गलत एवं अनाधिकृत नाम दर्ज करवा दिये, किन्तु मौके पर स्व. मनसुखसिंह के समय से आज दिन तक कब्जा काश्त एक मात्र वादीगण का ही निरन्तर सतत् निर्बाध रूप से कायम रहा व बदस्तूर निरन्तर आज रोज भी पूर्ववत कायम है। दिनांक 03.03.1967 व 27.11.1973 के विधिक बेचाननामों के बाद के सभी अज्ञात बेचान पश्चातवर्ती बेचान होने से विधि के अन्तर्गत आरम्भ से ही शून्य प्रभाव के हैं, लगान माफ होने तक लगान की राशि भूमिधारक को वादीगण की ओर से ही अदा की गयी। शून्य हस्तान्तरणों को विधि के अन्तर्गत शून्य घोषित कराने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिवादीगण का कभी भी कोई कब्जा काश्त वादग्रस्त आराजी परिशिष्ट " अ" में दर्ज ए. बी सी. डी. ई. एफ. जी. एच. कृषि भूमियों पर नहीं रहा और न उनके कोई हित या अधिकार किसी भी प्रकार से कभी भी सृजित ही हुए। वादीनी संख्या 1 की विधिक निर्योग्यता एवं वादीगण 2 व 3 की अव्यस्क होने की निर्योग्यता के रहते समय-समय पर जो भी नामान्तरकरण एवं शुद्धिपत्र बिना प्रतिफल के हवाई बेचानों की आड में पारित किये गये वो सभी बेचान एवं कार्यवाहियां आदित शून्य है। अतिरिक्त इसके विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि मात्र म्यूटेशन की प्रविष्टियों से हितों या अधिकारों का न तो सृजन होता है और न निर्वापन ही होता है। वादग्रस्त कृषि भूमियों में वादीगण के हको, हितों एवं अधिकारों का सृजन पूर्ववृर्ति बेचानों दिनांक 03.03. 67 व 27.11.73 को हुआ, रहा एवं निरन्तर आज भी है। पश्चातवृति सभी बेचान अनाधिकृ त धारा 7 सम्पति अन्तरण अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध होने से आदित शून्य एवं अकृत्य है। वादी सं. 2 ने प्रतिवादीगण को असल विक्रय विलेख दिनांक 03.03. 1967 व 27.11.1973 दिखाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख से हटाकर अभिलेख दुरस्ती कराने हेतु अनुरोध किया गांव के संभ्रान्त व्यक्तियों से दिनांक 10.07.05 को समझाईश भी कराई तो पहले वादीगण के दस्तावेजी अधिकारों को स्वीकार किया और बाद में लेतलाली का जवाब देते हुए मुकर गये। ऐसी स्थिति में वादीगण के खातेदारी अधिकारों, हकों व हितों को सुरक्षित व सुस्पष्ट करने के लिए अधिकार घोषणा एवं अभिलेख सुधार के अनुतोषों का वाद पत्र प्रतिवादीगण के खिलाफ दायर करना आवश्यक हो गया है, प्रतिवादी भोमाराम, केसी, दीमाराम, पाबु, 3... जसी, मोडा, डाया, गेना, मोडा, दाना, प्रागा, चवा, गेरो की ओर से जवाबदावा पेश कर कथन किया कि, वादग्रस्त भूमियों में जो 1/4 हिस्सा वादीगण के हक पूर्व खातेदारी का था, वो जरिये बेचाननामों के बेच दिया, इस प्रकार मौके पर कब्जा प्रतिवादीगण का हो गया, मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. जी.एच. अनुसार वादीगण ने गलत कब्जा दर्शाया हैं, मौके पर आज भी प्रतिवादीगण का कब्जा हैं, मनसुखसिंह ने राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने की कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि म्यूटेशन सं. 304 के जरिये खसरा सं. 144 में 29.05 बीघा भूमि का अमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

दरामद प्रतिवादी पूनमा, मोडा, डाया, गेना पीसरान दुर्गा, मोडा, दाना पीसरान पचाणा, रतना पत्र रामचन्द्र के नाम 1/4 अमल दरामद किया, हल्का पटवारी ने रेकर्ड में शुद्धिकरण दर्ज किया, जिससे खसरा सं. 145, 185, 142 में काना वल्द धुड़ा वगैरा ने 6/16 के स्थान पर मोडा, प्रागा, दाना पीसरान पचाणा, काना वल्द धुड़ा, प्रेमसिंह वल्द मांगसिंह, पदम कंवर पत्नि विजयसिंह 6/16 दर्ज किया, वादीगण ने मिलावट कर दिनांक 17.07.1981 को गलत फौतगी म्यूटेशन भरवाया, प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 03.03.1967, 27.11.1973 को कोई विधिक बेचान नामें निष्पादित नहीं किया, बल्कि मंसुखसिंह ने अपने 1/4 हिस्से का बेचान किया, प्रतिवादीगण के नाम रेकर्ड में बेचाननामों, पूर्वजों से मिले उत्तराधिकार के अधिकारों के तहत मिले हैं, वादी का वाद पत्र खारिज किया जावे । वादीगण का वाद तत्समय में सहायक कलेक्टर बालोतरा में पेश हुआ, रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, तदोपरांत राज्य सरकार द्वारा सहायक कलेक्टर सिवाना का पद नवसृजित किया, जिससे पत्रावली दिनांक 11.08.2010 को प्राप्त हुई। दिनांक 13.11.2017 को प्रतिवादी प्रागा, मोडा, दाना ने आवेदन पत्र आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. इस आशय का पेश किया कि खसरा सं. 142, 144, 145, 184 एवं 185 में मनसुखसिंह का जो हिस्सा था, वो जरिये बेचाननामा बेचान हो चुका हैं, गिरधारी पुत्र गजा कि द्वारा अपने हिस्सा 3/16 में से आधा यानि 3/32 हिस्सा मोडा वगैरा को दिनांक 05.07.1965 को बेचान किया जा चुका था, वादीगण ने खसरा सं. 100, 204, 119 मौजा पादरू के सम्बन्ध में कोई वाद पेश नहीं किया हैं, उक्त भूमि में प्रतिवादी मोड़ा, दाना, प्रागा पुत्रान पचाणा का 3/32 हिस्सा निहीत हैं, जिस हेतु अलग से वाद लाने हेतु स्वतंत्र हैं, उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2017 को अनुमति दी, जिसकी पालना में प्रतिवादी ने दिनांक 08.01.1918 को संशोधित जवाबदावा पेश किया, और संशोधित जवाबदावा के पद सं. 6 'अ' में कृषि भूमि खसरा सं. 142,. 144, 145 में कृषि भूमियों का बेचान प्रतिवादी पूनमा, मोडा, दाना, प्रागा व अन्य खरीददार के पक्ष में दिनांक 03.03.1967 को कर दिया, जिससे वादीगण का उक्त भूमियों पर कोई कब्जा नहीं हैं, जिससे वादीगण ने उक्त तथ्यों को छिपाया हैं । वाद पत्र, जवाबदावा प्रस्तुत होने के बाद, निम्न तनकियात कायम की गई :-

<u>तनकियात</u> –

1. आया – वादीगण मौजा [illegible] के खेत [illegible] सं. 144 में से खरीदसुदा 15.15 बीधा, खसरा सं. 145 [illegible] सं. 184 में से 16.18 बीधा, खसरा सं. 185 [illegible] बेचाननामा दिनांक 03.03.1967 के माफिक खातेदारी हक पाने के अ[illegible]री हैं, जिम्मे – वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusum Lata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:13:57 IST
Reason: SelfAttested

2. आया – वादीगण मौजा पादरू के खेत खसरा सं. 142 गैर मुमकिन बेरा रकबा 04 विस्वा का माफिक पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 27.11.1973 खातेदार टीनेन्ट घोषित करवाने के अधिकारी हैं – जिम्मे वादीगण

सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना

3. आया – वादीगण, प्रतिवादीगण के नाम वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में अंकित ए.बी.सी.डी.इ.एफ.जी.एच. कृषि भूमियों में हटा कर आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अंकित करवाने के अधिकारी हैं, जिम्मे – वादीगण

4. आया – बाद घोषणा वादीगण माफिक इस्तदुआ वाद पत्र पद सं. 13 (स) व्यादेश प्रतिवादीगण के विरूद्ध पाने के अधिकारी हैं, जिम्मे – वादीगण

5. आया – प्रतिवादीगण या प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारियों द्वारा कोई बेचाननामें दिनांक 03.03.1967 एवं 27.11.1973 को मनसुखसिंह के पक्ष में निष्पादित नहीं किये, जिम्मे – प्रतिवादीगण

6. आया – वादीगण का परिशिष्ट "अ" में ए.बी.सी.डी.इ.एफ.जी.एच. कृषि भूमियों पर कोई कब्जा काश्त नहीं हैं, जिम्मे – प्रतिवादीगण

7. आया वर्तमान वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार अदालत श्री को नहीं हैं, जिम्मे – प्रतिवादीगण

8. आया – वाद पत्र वादी म्याद बाहर हैं, जिम्मे – प्रतिवादी

9. अनुतोष –

दिनांक 22.07.2019 की आदेशिका अनुसार आवेदन पत्र आदेश 14 नियम 05 सी.पी.सी. स्वीकार कर निम्न अतिरिक्त तनकियात कायम की गई :–

10 <u>अतिरिक्त तनकियात</u> :– आया वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से की भूमि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये बेचान कर हस्तान्तरित करने से वादग्रस्त भूमियों में वादीगण का हक हिस्सा शेष नहीं रहने एवं कब्जा नहीं रहने से वाद पत्र काबिल खारिज योग्य हैं, – जिम्मे प्रतिवादी

11 <u>आया वादग्रस्त</u> आराजी भूमि का 3/32 हिस्सा गिरधारी पुत्र गजा द्वारा प्रतिवादीगण को सप्रतिफल पंजीयृद्ध विक्रय विलेख के दिनांक 06.07.1965 को बेचान करने से बाद में किया गया बेचाननामा प्रतिवादीगण (खरीदकर्ता) के हको के विरूद्ध प्रभाव शून्य हैं – जिम्मे प्रतिवादी

तनकियात कायम होने के बाद वादी व प्रतिवादी ने अपने जिम्मे रखी तनकियात को साबित करने हेतु मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की ।

वादी की ओर से पी.डब्लू – 1 [illegible] पी.डब्लू – 2 मोडसिंह, पी.डब्लू. – 3 चेनाराम के बयान क[illegible] में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2059–62 नक्शा [illegible] प्रदर्श–3 असल रजिस्ट्री, दिनांक 03.03.1967 प्रदर्श – 4 तथा असल [illegible]स्ट्री की प्रति प्रदर्श–4 ए, रजिस्ट्री 1973, प्रदर्श–5, उसकी प्रति प्रदर्श–5ए प्रस्तुत किये, प्रतिवादी साक्ष्य में डी.डब्लू–1 प्रागाराम ने अपने बयान कलमबद्ध करवाये तथा दस्तावेज में प्रदर्श–ए1 से ए27 पेश किये ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) रियाना

दोनों पक्षों की साक्ष्य पूर्ण होने पर उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनी गई, पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात एवं सम्बन्धित विधि का अवलोकन व अध्ययन किया ।

वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस वादपत्र के तथ्यों को दोहराया एवं माफिक प्रदर्श 4,5 के वादीगण को खातेदार करते हुये वाद पत्र को डिकी करने का निवेदन किया ।

वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमियों में जो मनसुखसिंह का 1/4 हिस्सा था वो सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादीगण को प्रदर्श ए 1 के जरिये बेचान किया जा चुका था तथा गिरधारी पुत्र गजा ने अपने 3/16 हिस्से में से आधा हिस्सा यानि 3/32 हिस्सा प्रदर्श ए 2 के अनुसार प्रतिवादीगण को बेचान किया जा चुका था इसलिए वादीगण कोई अनुतोष वाद के माध्यम से पाने के अधिकारी नहीं है।

तनकीवार निर्णय :-

1. आया – वादीगण मौजा पादरू के खेत खसरा सं. 144 में से खरीदसुदा 15.15 बीधा, खसरा सं. 145 में से खरीदसुदा 05.06 बीघा, खसरा सं. 184 में से 16.18 बीधा, खसरा सं. 185 में से 44.9 बीघा का पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 03.03. 1967 के माफिक खातेदारी हक पाने के अधिकारी हैं, जिम्मे – वादीगण –

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण का था, जिसे साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में वादी स्वंय ने पी.डब्लू.–1 के तौर पर परीक्षित करवाया तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया, इसके साथ ही पी.डब्लू.–2 मोडसिंह ने मौखिक साक्ष्य दी, कि, मैं वादीगण व प्रतिवादीगण को जानता हू, मेरा खेत विवादित खेत से एक खेत छोड़ कर पड़ौस में आया हुआ हैं, विवादित खेत का मौका देखने हेतु मौका कमिश्नर आये थे, जिन्होने मौका देख कर मौके पर कागजात वनाये, पड़ौसी होने के नाते मौतबीर के नाते मेरा अंगुठा करवाया था, मैंने मेरी समझ समझाईश से बेरा सेजवाला व जाव सेजवाला धनवा जाने वाले रास्ते के बदिशा लंकाऊ में मनसुखसिंह का व वर्तमान में उनके वारिसान का कब्जा काश्त देख रहा हूं, उक्त रास्तें के बदिशा ध्रुव में कब्जा काश्त कलवी चौधरीयों का हैं, उक्त तथ्यों की जान[illegible] पड़ौसी होने के नाते हैं, उक्त गवाह से वकील प्रतिवादी जिरह की गई, [illegible] में गवाह मनसुखसिंह के पास 130 बीघा के लगभग जमीन होना [illegible] रहा हैं । पी.डब्लू.–3 चैनाराम ने मौखिक साक्ष्य दी, कि, मेरा खेत विवादित कृषि भूमियों से जुड़ता सेडा सेड आया हुआ हैं, जिसमें मेरी 50 वर्षो से ढाणी बनी हुई हैं, जिसमें मेरा रहवास हैं, मैंने मेरी समझ समझाईश से बेरा सेजवाला व जाव सेजवाला धनवा जाने वाले रास्ते के बदिशा लंकाऊ में मनसुखसिंह का व वर्तमान में उनके वारिसान का कब्जा

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:57 IST
Reason: Self Attested

काश्त देख रहा हूं, उक्त रास्तें के बदिशा ध्रूव में कब्जा काश्त कलबी चौधरीयों का हैं, उक्त तथ्यों की जानकारी मुझें पड़ौसी होने के नाते हैं ।

डी.डब्लू–1 प्रागा ने अपना शपथ पत्र पेश कर अपने जवाबदावा के तथ्यों को दोहराया । प्रतिवादी जिरह में यह स्वीकार करता हैं, कि ...... यह बात सही हैं, कि खसरा सं. 142, 144, 145, 184, 185 में रतना, काना, धुड़ा, सखा ने मुझे व मेरे भाईयों मोडा, दाना को कोई हिस्सा बेचान नहीं किया ..... यह सही हैं, कि असल बेचाननामा मैंने हमारे पक्ष में गिरधारी वल्द गजा द्वारा भूमि का पेश नहीं किया हैं .... ई.एक्स.–ए1 में खसरा सं. 184 व 185 का कोई अंकन नहीं हैं ..... मैं वादग्रस्त भूमियों में देशी 10–12 हल खड़ता हूं...... यह बात सही हैं, कि वादग्रस्त भूमियों में से मीठोड़ा सरहद की तरफ 65–70 बीघा रकबा रहता हैं, से मीठोड़ा जाने वाला मार्ग चलता हैं, जो कटाण नहीं हैं, यह सही हैं, कि वादग्रस्त भूमि का शेष रकबा उक्त मार्ग के दक्षिण दिशा में आया हुआ हैं.... यह बात सही हैं, कि खसरा सं. 142, 144, 145, 184, 185 में रतना, काना, पूनमा और मोडा के द्वारा अपने 3/4 हिस्से का मनसुखसिंह से पहले अन्य व्यक्ति को हिस्सा बेंचान किया हैं, ऐसा कोई दस्तावेज मैंने पेश नहीं किया, प्रदर्श–ए2 अनुसार गिरधारी ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान नहीं किया हैं ..... जिस भूमि का दावा चल रहा हैं, उस भूमि के बेरे का नाम सेजवाला हैं, और पास की भूमि का नाम पाड़का के नाम से जाना जाता हैं ।

वादी की ओर से जो दस्तावेज प्रदर्श–3 खतौनी बंदोबस्त पेश की हैं, में वर्णित अंकन अनुसार खुदकाश्त 1/4 हिस्सा, रतना वल्द रामचन्द्र, गिरधारी वल्द गजा, काना वल्द धुडा, सखा वल्द हबता 3/4 कौम कलबी दर्ज हैं, प्रदर्श – 4 पंजीकृत बेचाननाम दिनांक 03.03.1967 के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि, मौजा पादरू में अवस्थित भूमि खसरा सं. 142, 184, 144, 145, 185 एवं 204, 319, 100 का बेचान नामा रतना, काना, गिरधारी, पूनमा, मोडा द्वारा मनसुखसिंह के हक में निम्न प्रकार से किया जाना अंकित हैं । खसरा सं. 142 बेरा गेरमुमकिन, खसरा सं. 184 रकबा 22.10 बीघा खसरा सं. 144 रकबा 59.18 बीघा में से 29.05 बीघा तरफ पश्चिम की मीठोड़ा गांव के सीवाड़े की और की जमीन रख कर बकाया जमीन 30.13 बीघा भूमि इस जाव की दी जा रही हैं, जिसके पड़ौस दर्ज किये हैं, इसी प्रकार 145 रकबा 53.14 बीघा में से 35 बीघा हमारे कब्जे में तरफ मीठोड़ा गांव की रखते हुए 18 बीघा 14 विस्वा भूमि इसी प्रकार खसरा सं. 185 रकबा 59.0 बीघा के सम्पूर्ण हक खातेदारी बेचान किये, प्रतिवादी की ओर से प्रदर्श–ए1 बेचाननामा की प्रमाणित प्रति पेश कर वादी के अभिवचनो का खण्डन अपनी मौखिक साक्ष्य के जरिये यह कहते हुए किया कि, मनसुखसिंह ने वादग्रस्त भूमियों में जो उनका 1/4 हिस्सा था, वो दिनांक 03.031967 को बेच दिया, प्रदर्श–ए1 के अवलोकन करने से यह तथ्य सामने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना

आया कि, खसरा सं. 144 के 29.00 बीघा व खसरा सं. 145 के 35 बीघा भूमि जिसका पड़ौस प्रदर्श–4 में अंकित हैं, के अनुसार अंकित किया गया हैं, खसरा सं. 184, 185 का कोई अंकन प्रदर्श–ए1 में नहीं हैं ।

वकील वादी ने कथन किया कि, प्रदर्श–ए1 में जो भूमियां वादी के हक पूर्वाधिकारी ने प्रतिवादीगण वगैरा को उनके द्वारा बेचान की गई हैं, वो खसरा सं. 144 में 29.00 बीघा व खसरा सं. 145 में 35 बीघा भूमि जिसका पड़ौस प्रदर्श–4 में अंकित हैं, में मनसुखसिंह का कोई 1/4 हिस्सा नहीं रहेगा के बाबत ही हैं, अन्य हिस्से का कोई बेचान नहीं हैं, यह बेचाननामा प्रदर्श – ए1 इसलिए निष्पादित किया गया कि, खसरा सं. 144 में जो 29.00 बीघा व खसरा सं. 145 में 35 बीघा भूमि तत्समय के 3/4 हिस्से के खातेदारान के हक में रखी गई के सम्बन्ध में भविष्य में मनसुखसिह या उनके वारिस द्वारा कोई उजर एतराज नहीं किया जावे तक था। वकील प्रतिवादी ने वादी के दस्तावेजात का खण्डन करते हुए प्रदर्श–ए 2 दस्तावेज दिनांक 05.07.1965 पेश किया, जो गिरधारी द्वारा मोड़ा दाना, प्रागा के पक्ष में लिखा जाना बताया हैं, जो खसरा सं. 144, 184, 145, 185, 195, 204, 319 100 में 3/16 हिस्से में से 1/2 हिस्से का होना बताया हैं, वकील वादी का कथन हैं, प्रतिवादी ने ऐसा कोई प्रतीप वाद घोषणा के अनुतोष का पेश नहीं किया हैं, इसलिए प्रतिवादी का उक्त एतराज औचित्य हीन हैं ।

हमने दोनों पक्षों की और से मौखिक, एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन अध्ययन किया, चूँकि वादी यह कथन लेकर आया हैं, कि 3/4 हिस्से के तत्समय के खातेदारान द्वारा दिनांक 03.03.1967 को खसरा सं. 144 में 29 बीघा, खसरा सं. 145 में 35 बीघा भूमि अपने पास रखकर शेष समस्त रकबे का बेचान किया गया, और मौके पर कब्जा निरन्तर माफिक बेचान हैं, प्रदर्श–ए1 दस्तावेज में जो भूमि मनसुखसिंह द्वारा बेचान की गई हैं, वो वादग्रस्त भूमियां खसरा सं. 142, 144, वो खसरा सं. 144 में 29.00 बीघा व खसरा सं. 145 में 35 बीघा भूमि जिसका पड़ौस प्रदर्श 4 में अंकित हैं,में मनसुखसिंह का कोई 1/4 हिस्सा नहीं रहेगा के बाबत ही हैं, अन्य हिस्से का कोई बेचान नहीं हैं, यह बेचाननामा प्रदर्श – ए1 इसलिए निष्पादित किया गया कि, खसरा सं. 144 में जो 29.00 बीघा व खसरा सं. 145 में 35 बीघा भूमि तत्समय के 3/4 हिस्से के खातेदारान के हक में रखी गई के सम्बन्ध में भविष्य में मनसुखसिह या उनके वारिस द्वारा कोई उजर एतराज नहीं किया जावे तक था। वकील प्रतिवादी का कथन हैं, कि गिरधारी वल्द गजा ने अपने 3/16 में से 1/2 हिस्सा का बेचान दिनांक 05.07.1965 को उनके हक में किया हैं, उक्त भूमियों में गिरधारी वल्द गजा के हिस्से में खसरा सं. 144 में 11.03 बीघा, खसरा सं. 145 में 9.19 बीघा, खसरा सं. 184 में 4.03 बीघा, खसरा सं. 185 में 11.01 बीघा कुल 36.06 बीघा भूमि माफिक खतौनी बंदोबस्त हिस्से में आती हैं, यदि प्रदर्श–ए 2 को मान भी

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:57 IST
Reason: Self Attested

लिया जाय तो उक्त 36.06 बीघा में से आधी यानि 18.03 बीघा भूमि ही प्रतिवादी खरीद करने का कथन करता हैं, वादग्रस्त भूमियां खसरा सं. 142, 144, 145, 184, 185 के कुल रकबा में से गिरधारी वल्द गजा के अलावा अन्य किसी खातेदार ने कभी भी सम्पूर्ण या अपने हिस्से में से भूमि के भाग का प्रतिवादीगण को वादीगण के हक पूर्वाधिकारी के हक में बेचान करने के पहले की हो, के बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुए हैं।यह स्वीकृत तथ्य हैं, कि दिनांक 03.03.1967 को जो दस्तावेज मनसुखसिंह के हक में निष्पादित हुआ, को किसी न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया हो, के बाबत कोई साक्ष्य प्रतिवादी ने पेश नहीं की हैं, उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त तनकी वादीगण ने अपनी मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध किया हैं, कि तत्समय के 3/4 हिस्से के खातेदारान ने जरिये सप्रतिफल भूमि मनसुखसिंह को माफिक बेचाननामा दिनांक 03.03.1967 के बेचान की, <u>प्रदर्श–ए 2 अनुसार घोषणा के अनुतोष का कोई प्रतीप वाद पेश नहीं किया हैं, इसलिए बिना मांगे अनुतोष दिया जाना इस स्तर पर संभव नहीं हैं, यदि प्रतिवादी प्रदर्श–ए2 के सम्बन्ध में कोई वाद भविष्य में घोषणा हेतु प्रस्तुत करना चाहता हैं, तो इस हेतु प्रतिवादी स्वतंत्र हैं,</u> उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण ने उपरोक्त तनकी को अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध किया हैं, इसलिए वादीगण भूमि खसरा सं. 144 रकबा 59.13 बीघा में से 30 बीघा 13 विस्वा, खसरा सं. 145 रकबा 53.14 बीघा में से 18.14 बीघा, खसरा सं. 184 रकबा 22.10 बीघा, खसरा सं. 185 रकबा 59.05 बीघा के खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं, खसरा सं. 144 में शेष 29 बीघा, खसरा सं. 145 में 35 बीघा भूमि के खातेदार प्रदर्श–ए1 अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी प्रतीत होते हैं। उपरोक्त तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है ।

2. आया– वादीगण मौजा पादरू के खेत खसरा सं. 142 गैर मुमकिन बेरा रकबा 04 विस्वा का माफिक पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 27.11.1973 खातेदार टीनेन्ट घोषित करवाने के अधिकारी हैं – जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था, जिस हेतु वादीगण ने प्रदर्श 4 बेचाननामा दिनांक 03.03.1967 [illegible]–5 बेचाननामा दिनांक 27.11.1973 पेश किया,जिसमें [illegible] वगैरह ने खसरा सं. 142 रकबा 0.04 विस्वा [illegible] में बेचान किया हैं, उक्त दस्तावेज को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा प्रश्नगत कर न्याय निर्णित किया हो, ऐसा कोई दस्तावेज खण्डन के रूप में प्रतिवादी की ओर से पेश नहीं हुआ हैं, असल सम्पति में विधिक हकों का अंतरण पंजीकृत दस्तावेज से ही होता हैं, म्यूटेशन मात्र एक राजस्व संग्रहण का माध्यम है, म्युटेशन से कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं, बेचाननामा दिनांक 27.11.1973 के खण्डन में प्रतिवादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना

ओर से जो प्रदर्श–ए2 पेश किया हैं, के सम्बन्ध में प्रतिवादी ने घोषणा का कोई अनुतोष नहीं चाहा हैं, इसलिए बिना अनुतोष चाहे ही कोई अनुतोष दिया जाना संभव नहीं हैं। वादीगण की ओर से अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी जो साक्ष्य पेश किया हैं, उसके आधार पर वादीगण ने उक्त तनकी अपने पक्ष में सिद्ध की हैं । अतः उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं ।

3. आया – वादीगण, प्रतिवादीगण के नाम वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में अंकित ए.बी.सी.डी.इ.एफ.जी.एच. कृषि भूमियों में हटा कर आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अंकित करवाने के अधिकारी हैं, जिम्मे – वादीगण

चूँकि उक्त तनकी तनकी सं. 01 की अनुसांगिक तनकी हैं, तनकी सं. 01 का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाकर वादीगण को माफिक अनुतोष घोषणा पाने का अधिकारी पाया हैं, इसलिए घोषणा के अनुतोष की पालना में माफिक तनकी सं. 01 के विवेचन माफिक रेकर्ड में प्रतिवादीगण का नाम, वादीगण हटाने के अधिकारी हैं। उपरोक्त तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता हैं ।

4. आया – बाद घोषणा वादीगण माफिक इस्तदुआ वाद पत्र पद सं. 13 (स) व्यादेश प्रतिवादीगण के विरूद्ध पाने के अधिकारी हैं, जिम्मे – वादीगण

तनकी नं. 1, 2, 3 का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया गया, और माफिक तनकी सं. 01, 02 के विवेचन अनुसार वादीगण को खातेदार घोषित होने का अधिकारी माना, तनकी सं. 03 अनुसार रेकर्ड में से तनकी सं. 01 विवेचन अनुसार सुधार की प्रविष्टियां दर्ज करवाने का अधिकारी माना हैं, इसलिए उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं, वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं ।

5. आया – प्रतिवादीगण या प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारियों द्वारा कोई बेचाननामें दिनांक 03.03.1967 एवं 27.11.1973 को मनसुखसिंह के पक्ष में निष्पादित नहीं किये, जिम्मे – प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का था, प्रतिवादी सुखगिरी, हरिसिंह ने जवाबदावा प्रस्तुत कर [illegible] वाद पत्र को स्वीकार किया हैं, प्रतिवादी मोडा, दाना, [illegible] साबित करने हेतु डी.डब्लू.–1 के बयान कलमबद्ध करवाये और [illegible] जवाबदावा के तथ्यों को दोहराया, जिरह में यह स्वीकार करता हैं, कि ...... यह बात सही हैं, कि खसरा सं. 142, 144, 145, 184, 185 में रतना, काना, धुड़ा, सखा ने मुझे व मेरे भाईयों मोडा, दाना को कोई हिस्सा बेचान नहीं किया ..... यह सही हैं, कि असल बेचाननामा मैंने हमारे पक्ष में गिरधारी वल्द गजा द्वारा भूमि का पेश नहीं किया हैं .... ई. एक्स.–ए1 में खसरा सं. 184 व 185 का कोई अंकन नहीं हैं ..... मैं वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

भूमियों में देशी 10–12 हल खड़ता हूं..... यह बात सही हैं, कि वादग्रस्त भूमियों में से मीठोडा सरहद की तरफ 65–70 बीघा रकबा रहता हैं, से मीठोड़ा जाने वाला मार्ग चलता हैं, जो कटाण नहीं हैं, यह सही हैं, कि वादग्रस्त भूमि का शेष रकबा उक्त मार्ग के दक्षिण दिशा में आया हुआ हैं.... यह बात सही हैं, कि खसरा सं. 142, 144, 145, 184, 185 में रतना, काना, पूनमा और मोडा के द्वारा अपने 3/4 हिस्से का मनसुखसिंह से पहले अन्य व्यक्ति को हिस्सा बेंचान किया हैं, ऐसा कोई दस्तावेज मैंने पेश नहीं किया, प्रदर्श–ए2 अनुसार गिरधारी ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान नहीं किया हैं ..... जिस भूमि का दावा चल रहा हैं, उस भूमि के बेरे का नाम सेजवाला हैं, और पास की भूमि का नाम पाड़का के नाम से जाना जाता हैं।

वादी की ओर से प्रदर्श–4 व 5 के असल दस्तावेज पेश किये गये हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार 30 वर्ष से अधिक पुराने लोक दस्तावेज के सत्य होने की उपधारणा हैं, जबकि प्रतिवादी ने जो दरतावेज प्रदर्श–ए2 पेश किया है, वो प्रमाणित प्रति हैं, असल न्यायालय में पेश नहीं किया हैं, इसके अलावा प्रतिवादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में यह कहीं पर भी कथन नहीं किया हैं, कि वादीगण के हक पूर्वाधिकारीगण के हक में कोई बेचाननामा निष्पादित नहीं किया हो, वाद पत्र वर्ष 2005 में प्रस्तुत हुआ, वर्ष 2005 से बहस अंतिम की दिनांक तक वादीगण के हक पूर्वाधिकारी के हक में निष्पादित पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 03.03.1967 अशुद्ध, फर्जी एवं कूटरचित हो के सम्बन्ध में किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई कानूनी साराजोई प्रतिवादी की ओर से नहीं की गई हैं, और न ऐसा कोई कारण ही प्रकट किया हैं, मात्र मौखिक रूप से कथन करने मात्र से पंजीकृत दस्तावेज की वैधता की चुनौती नहीं दी जा सकती है,न्यायालय प्रदर्श 4,5 के बाबत साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसरण में सत्य होने की उपधारणा धारित करता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं ।

6. आया – वादीगण का परिशिष्ट "अ" में ए.बी.सी.डी.इ.एफ.जी.एच. कृषि भूमियों पर कोई कब्जा काश्त नहीं हैं, जिम्मे – प्रतिवादीगण

तनकी सं. 01, 02, 03, 04, 05 का निर्णय वादी का निर्णय वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जा चुका हैं, प्रतिवादी ने मौखिक साक्ष्य में या दस्तावेजी साक्ष्य में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं, जिससे यह जाहिर हो कि वादीगण का भूमि पर कब्जा नहीं हो, जबकि वादीगण ने प्रदर्श–3, प्रदर्श–4 जो पंजीकृत एवं असल दस्तावेज हैं, को प्रस्तुत किया हैं, सम्पति अन्तरण अधिनियम के अनुसार सम्पति के समस्त विधिक हक पंजीकरण के साथ ही अंतरित होते हैं, राजस्व रेकर्ड में अंकन ऐसे दस्तावेज के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

नामान्तरण के जरिये दर्ज होता हैं, नामान्तरण की प्रविष्टियां एक फिस्कल प्रकृति की प्रविष्टियां हैं, जिससे हकों का निर्धारण नहीं होता हैं, मात्र रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं होने से भूमि पर कब्जा नहीं हो, यह नही माना जा सकता हैं, वादीगण की ओर से जो असल दस्तावेज पेश किये हैं, उनको नहीं मानने का कोई खण्डनीय दस्तावेज प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ हैं । पी.डब्लयू 2,पी डब्लयू 3 के साक्ष्य को नही मानने का कोई कारण विद्‌यमान नहीं है। प्रतिवादी डी.डब्लू–1 यह स्वीकार करता हैं, कि वादग्रस्त भूमियों में से मीठोड़ा सरहद की तरफ करीब 65–70 बीघा रकबा रहता हैं, से मीठोड़ा जाने वाला मार्ग चलता हैं, शेष रकबा उक्त मार्ग के दक्षिण दिशा में हैं, खसरा सं. 142, 144, 145, 184, 185 में रतना, काना, गिरधारी, पूनमा, मोड़ा द्वारा दिनांक 03.03.1967 को रजिस्ट्री करवायी, उसका किसी भी न्यायालय में एतराज नहीं किया, उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण का प्रदर्श–4 अनुसार कब्जा है, जिसे खण्डन करने का कोई दस्तावेज प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ हैं, अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं ।

7. आया वर्तमान वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार अदालत श्री को नहीं हैं, जिम्मे – प्रतिवादीगण

प्रतिवादी ने अपनी मौखिक एवं लिखित साक्ष्य में ऐसा कोई विशिष्ठ ऐतराज नहीं किया हैं, जिसके आधार पर वाद न्यायालय में चलने का क्षेत्राधिकार नहीं हो, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के अनुसार राजस्व भूमियों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले संविवादों को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त हैं, वर्तमान वाद में वादीगण ने उनके हक पूर्वाधिकारी के हक में पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर घोषणा का व रेकर्ड दुरस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा हैं, जो राजस्व न्यायालय धारा 88, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदान करने हेतु क्षेत्राधिकार रखता हैं। अतः उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं ।

8. आया – वाद पत्र वादी [illegible] हैं, जिम्मे – प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:57 IST
Reason: SelfAttested

आया – वादी ने वाद पत्र धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा के अनुतोष का प्रस्तुत किया हैं, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के शेड्युल 3 में धारा 88 में वादी के हकों की घोषणा का वाद पेश करने हेतु कोई परिसीमा कालावधि निर्धारित नहीं की हुई हैं, अलावा इसके वादी ने अपने वाद हेतुक में यह बताया हैं, कि वादी द्वारा दिनांक 10.07.2005 को रेकर्ड में दुरस्ती करवाने का प्रतिवादीगण से अनुरोध किया, जो अनुरोध ठुकरा दिया, इस प्रकार उक्त तनकी को साबित करने के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की हैं, जिससे उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादीगण के पक्ष में किया जाता हैं।

9. अनुतोष –

उक्त तनकी का निर्णय अतिरिक्त तनकी सं. 10, 11 के बाद किया जा रहा हैं ।

10.अतिरिक्त तनकियात :– आया वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से की भूमि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये बेचान कर हस्तान्तरित करने से वादग्रस्त भूमियों में वादीगण का हक हिस्सा शेष नहीं रहने एवं कब्जा नहीं रहने से वाद पत्र काबिल खारिज योग्य हैं, – जिम्मे प्रतिवादी

उक्त तनकी को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण ने प्रदर्श–ए1 से प्रदर्श–ए 28 दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसमें से प्रदर्श–ए1, ए2 बेचाननामे हैं, प्रदर्श–17 मिसल बंदोबस्त हैं, प्रदर्श–ए16 खतौनी, अन्य सभी प्रदर्श–ए राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी, म्यूटेशन जो प्रदर्श–ए17 के पश्चातवर्ती हैं, पेश किये हैं, प्रतिवादी ने जो प्रदर्श–ए1 पेश किया हैं, उसमें खसरा सं. 184, 185 का अंकन नहीं हैं, उक्त बात को डी.डब्लू.–1 अपने जिरह में स्वीकार करता हैं, वादी अधिवक्ता का कथन हैं, कि प्रदर्श ए1,प्रदर्श–4 के साथ ही एक ही दिन निष्पादित किया गया था, जो खसरा सं. 144 में 29 बीघा, खसरा सं. 145 में 35 बीघा भूमि प्रदर्श–ए1 के खरीददार के हक मे रखी गयी थी, में वादीगण के हक पूर्वाधिकारी का हिस्सा नहीं रहे के स्पष्टीकरण हेतु निष्पादित किया गया था, उसके जरिये खसरा सं. 144, 145, 146, 184, 185 में जो मनसुखसिंह का 1/4 हिस्सा था, वो अंतरित नहीं किया गया था, यदि ऐसा होता तो उसका स्पष्ट अंकन प्रदर्श–ए1 में होता, जो प्रदर्श–ए1 निष्पादित होकर पंजीकृत हुआ वो मात्र खसरा सं. 144 में 29 बीघा भूमि, खसरा स. 145 में 35 बीघा भूमि की हद तक ही था, जिसे वादीगण स्वयं ने अपने वाद पत्र में स्वीकार कर यह वाद पेश किया हैं, कि उक्त भूमि को दावे के साथ पेश नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं ।

11 आया वादग्रस्त आराजी भूमि का 3/32 हिस्सा गिरधारी पुत्र गजा द्वारा प्रतिवादीगण को सप्रतिफल पंजीबृद्ध विक्रय [illegible] दिनांक 06.07.1965 को बेचान करने से बाद में [illegible] (खरीदकर्ता) के हको के विरूद्ध प्रभाव शून्य हैं – जिम्मे प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:57 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी [illegible] था, किन्तु प्रतिवादी ने अपनी ओर से कोई प्रतीप वाद उपरोक्त तनकी में वर्णित अनुतोष को प्राप्त करनेहेतु नहीं किया । तनकी सं. 01 में यह निर्णित किया गया कि, यह स्वीकृत तथ्य हैं,कि दिनांक 03.03.1967 को जो दस्तावेज मनसुखसिंह के हक में निष्पादित हुआ, को किसी न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया हो, के बाबत कोई

सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना

साक्ष्य प्रतिवादी ने पेश नहीं की हैं, उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त तनकी वादीगण ने अपनी मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध किया हैं, कि तत्समय के 3/4 हिस्से के खातेदारान ने जरिये सप्रतिफल भूमि मनसुखसिंह को माफिक बेचाननामा दिनांक 03.03.1967 के बेचान की, <u>प्रदर्श–ए2 अनुसार घोषणा के अनुतोष का कोई प्रतीप वाद पेश नहीं किया हैं, इसलिए बिना मांगे अनुतोष दिया जाना इस स्तर पर संभव नहीं हैं, यदि प्रतिवादी प्रदर्श–ए 2 के सम्बन्ध में कोई वाद भविष्य में घोषणा हेतु प्रस्तुत करना चाहता हैं, तो इस हेतु प्रतिवादी स्वतंत्र हैं।</u> चूँकि प्रतिवादी ने कोई घोषणात्मक अनुतोष का प्रतीप वाद पेश नहीं किया हैं, इसलिए इस सम्बन्ध में कोई अनुतोष या विवेचन इस स्तर पर करना उचित प्रतीत नहीं होता हैं, अतिरिक्त इसके प्रतिवादी ने प्रदर्श–ए2 दस्तावेज का असल प्रलेख न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया हैं, क्योंकि ऐसे प्रलेख की जो प्रति प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित करवायी हैं, उसमें वादग्रस्त खसरों के अलावा अन्य खसरों का भी विवरण अंकित हैं, अलावा इसके प्रतिवादी ने स्वतंत्र साक्षी भी पेश नहीं किया हैं, और न ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश की हैं, जिसके आधार पर इस स्तर पर यह न्याय निर्णित किया जा सके कि, दिनांक 06.07.1965 को दस्तावेज निष्पादित हुआ,के जरिये सम्पूर्ण हक अंतरित हो चुके थे, उसके बाद अन्य दस्तावेज निष्पादित हुए हो, इस प्रकार उक्त तनकी का निर्णय इस स्तर पर बिना अनुतोष, प्रतीप वाद, के मांगने के अभाव में प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं। प्रतिवादी प्रदर्श ए–2 बावत वाद पत्र पेश करने हेतु स्वंतत्र है।

अनुतोष तनकी सं. 09 –

वादी ने अपने जिम्मे रखी तनकी सं. 01, 02, 03, 04 अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी सिद्ध किया, परिणामतः वाद स्वीकार कर डिक्री योग्य है, तनकी सं. 05, 06, 07, 08 तथा अतिरिक्त तनकी सं. 10, 11 विवेचन अनुसार प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की गई हैं ।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार कर वादीगण को मौजा पादरू तहसील सिवाना में अवस्थित भूमि खेत खसरा सं. 144 रकबा 59.13 बीघा में से 30 बीघा 13 बिस्वा, खस[illegible] रकबा 53.14 बीघा में से 18.14 बीघा, खसरा सं. [illegible] रकबा 59.05 बीघा, खसरा सं. 142 रकबा 94 बिस्वा के खातेदा[illegible] किये जाते हैं, एवं खसरा सं. 144 में शेष 29 बीघा, खसरा सं. 145 में [illegible] बीघा भूमि के खातेदार प्रदर्श 4 दस्तावेज संख्या 61/1967 ,प्रदर्श–ए1 बेचाननामा दिनांक 03.03.1967 दस्तावेज सं. 63/1967 अनुसार पूनमा, मोडा, डाया, गेना पुत्रान दुर्गा, मोडा, दाना, प्रागा पिसरान पचाणा, रतना पुत्र रामचन्द्र या जिन्हे उक्त जने ने भूमि बेचान/बक्शीश की उनके नाम या फौत होने की स्थिति में प्रथम श्रेणी के वारिसान को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश भूमिधारक तहसीलदार सिवाना को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

दिये जाते है, रेकर्ड में इसी अनुसार आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अंकित वर्तमान नाप प्रणाली (हैक्टर) अनुसार करते हुए रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज करे, बाद घोषणा,आवश्यक सुधार प्रविष्टियां प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं, कि वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमियों में कोई दखल/हस्तक्षेप,बाधा, अवरोध कारित नहीं करे, और न अन्य किसी से करावे । डिक्री पर्चा मूर्तीब हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

निर्णय दिनांक 31.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:57 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बाड़मेर) व

इजलास कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या 70 / 2010 (127 / 05 पुराने)

वादीगण

1. स्व. मनसुखसिह के उत्तरिधकारीगण
1/1 श्रीमती अस्तकंवर बेवा मनसुखसिंह
1/2 गोपलसिंह पुत्र मनसुखसिंह
1/3 नारायणसिंह पुत्र मनसुखसिंह
जातियान राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भोमाराम पुत्र रतनाराम जाति कलबी चौधरी निवासी खेड
2. केसी बेवा पनूनमा जाति कलबी चौधरी निवासी खेडा
3. दीपाराम वल्द दूदा जाति कलबी चौधरी नि.खेडा
4. पाबू बेवा दूदा जाति कलबी चौधरी नि.खेडा
5. अमरा वल्द काना जाति कलबी चौधरी नि. खेडा
6. जेठा गोद पुत्र काना जाति कलबी चौधरी नि.खेडा
7. जसी पुत्री काना जाति कलबी चौधरी नि.खेडा
8. वाली पुत्री काना जाति कलबी चौधरी नि.खेडा
सभी 3 ता 8 निवासी खेडा तहसील गुडामालानी
9. उम्मेदगिरी चेला चेनतगिरीजी महाराज जाति गोस्वामी नि. मीठा मठा
10. शान्तिदेवी पत्नी भाखराराम जाति विश्नोई नि.गुडामालानी
11. रामेश्वरीदेवी पत्नी भीखाराम जाति विश्नोई नि.गुडामालानी
12. समूदेवी पत्नी पंचाराम जाति जाति विश्नोई नि.गुडामालानी
13. मोडा पुत्र दुर्गा जाति कलबी निवासी खेडा
14. डाया पुत्र दुर्गा जाति कलबी निवासी खेडा
15. गेना पुत्र दुर्गा जाति कलबी निवासी खेडा
16. मोडा पुत्र पसाणा जाति कलबी निवासी खेडा
17. धाना पुत्र पसाणा जाति कलबी निवासी खेडा
18. प्रागा पुत्र पसाणा जाति कलबी चोधरी निवासी खेडा
सभी निवासीयान खेडा तहसील गुडामानली
19. सवा पुत्र लक्ष्मणजी जाति कलबी चौधरी निवासी खेडा
20. मृतक पेमाराम पुत्र जगरूपाराम के कायम मुकाम
जाति कलबी चौधरी नि.खेडा फौत
20/1 सांवलाराम पुत्र पेमाराम जाति कलबी चोधरी निवासी खेडा
20/2 रणछोडराम पुत्र पेमाराम जाति कलबी चोधरी निवासी खेडा
20/3 श्रीमती जमना पुत्री पेमाराम जाति कलबी ... निवासी खेडा
21. सुखगिरी पुत्र भीमगिरी जाति गोस्वामी नि. ...
22. हरीसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी मी...
23. नरपतसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी मीठा
24. सोहनसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी ...
25. नगसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी मीठा
निवासीयान मीठा, तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
26. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पादरू
27. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधी भूमिधारक तहसीदार सिवाना –जिला बाडमेर
28. गेरो बेवा नरसिंगा जाति कलबी
तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:57 IST
Reason: SelfAttested

वाद हेतु अधिकार घोषणा,अभिलेख सुधार स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश

निर्णय दिनांक : –31.08.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री अचलाराम थोरी मिनजानिब ... व मिनजानिब मुद्दायलह वकील श्री कपिल श्रीमाली प्रतिवादीस संख्या 16 ता 18 पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को मौजा पादरू तहसील सिवाना में अवस्थित भूमि खेत खसरा सं. 144 रकबा 59.13 बीघा में से 30 बीघा 13 विस्वा, खसरा सं. 145 रकबा 53.14 बीघा में से 18.14 बीघा, खसरा सं. 184 रकबा 22.10 बीघा, खसरा सं. 185 रकबा 59.05 बीघा, खसरा सं. 142 रकबा 04 विस्वा के खातेदार घोषित किये जाते हैं, एवं खसरा सं. 144 में शेष 29 बीघा, खसरा सं. 145 में 35 बीघा भूमि के खातेदार प्रदर्श 4 दस्तावेज संख्या 61/1967 ,प्रदर्श–ए1 बेचाननामा दिनांक 03.03.1967 दस्तावेज सं. 63/1967 अनुसार पूनमा, मोडा, डाया, गेना पुत्रान दुर्गा, मोडा, दाना, प्रागा पिसरान पचाणा, रतना पुत्र रामचन्द्र या जिन्हे उक्त जने ने भूमि बेचान/बक्शीश की उनके नाम या फौत होने की स्थिति में प्रथम श्रेणी के वारिसान को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश भूमिधारक तहसीलदार सिवाना को दिये जाते है, रेकर्ड में इसी अनुसार आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अंकित वर्तमान नाप प्रणाली (हैक्टर) अनुसार करते हुए रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज करे, बाद घोषणा,आवश्यक सुधार प्रविष्टियां प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं, कि वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमियों में कोई दखल/हस्तक्षेप,बाधा, अवरोध कारित नहीं करे, और न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.08.2021 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर (S.D.O)
सिवाना
(SDO) सिवाना

क्रमांक: वाचक/2021/7008
प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।
भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना

दिनांक :-31.08.21

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:57 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर (S.D.O)
(SDO) सिवाना